2. स्थानान्तरण/पदस्थापन

[1]

पत्र संख्या-12/प०-1059/99 का०-9745

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

डा० बी० राजेन्दर, सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 12 नवम्बर, 1999

विषय :- पदस्थापन के प्रतीक्षारत बि०प्र०से० के पदाधिकारियों को ससमय पदस्थापित करने हेतु मार्ग दर्शन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवायें अन्य विभागों में सौंपने के पश्चात् इनके पदस्थापन में नियंत्री विभाग द्वारा अतिशय विलम्ब किया जाता है । फलस्वरूप बिना कार्य के सरकारी राशि का व्यय वहन उनके वेतन के रूप में किया जाता है साथ ही सम्बन्धित पदाधिकारियों के पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत अवधि के विनियमन में वित्त विभाग द्वारा हुए विलम्ब का कारण पूछा जाता है ।

सम्यक विचारोपरान्त कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवायें जब सम्बन्धित विभागों में सौंपी जाती हैं तब सम्बन्धित पदाधिकारियों का पदस्थापन शीघ्र किया जाय ।

पदस्थापन की सामान्य प्रक्रिया के तहत सामान्यत: वर्ष में दो बार स्थापना समिति की बैठक की जाती है । परन्तु प्रतीक्षारत पदाधिकारियों के पदस्थापन में औसतन से अधिक हो रहे विलम्ब को देखते हुए तथा सरकारी राशि के अपव्यय को कम करने के वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में बि०प्र०से० के पदाधिकारियों को पदस्थापन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार स्थापना समिति की बैठक का आयोजन किया जाय ताकि पदाधिकारियों के पदस्थापन में अनावश्यक बिलम्ब से बचा जा सके ।

विश्वासभाजन,

ह०/-- बी० राजेन्दर

सरकार के संयुक्त सचिव ।

------

[2]

पत्र संख्या-1/एस०-06/98 का०-3881

अत्यावश्यक

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी० पी० वर्मा, मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 7-4-1998

विषय :- नये पद का प्रभार ग्रहण करने पर भी पूर्व पद का प्रभार नहीं सौंपने/त्यागने के संबंध में।

महोदय,

प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि पदाधिकारीगण नये पद का प्रभार ग्रहण करने पर भी अपने पूर्व पद का त्याग नहीं करते हैं जबकि सरकार द्वारा स्थानान्तरित पदाधिकारी को अधिसूचित पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अपने पूर्व पद से स्वत: विरमित समझे जाने का स्पष्ट निदेश तत्संबंधी अधिसूचना में अंकित रहता है। उन्हें अपने पूर्व पद के अतिरिक्त प्रभार में रहने संबंधी कोई आदेश भी नहीं दिया जाता है फिर भी वे नये पद के साथ पूर्व पद पर यथावत बने रहते हैं। इससे प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। सरकार ने इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर निर्णय लिया है कि सभी पदाधिकारियों को हिदायत दे दी जाय कि बिना सरकार के एतत्संबंधी आदेश के कोई भी पदाधिकारी स्थानान्तरण के उपरान्त पूर्व पद का प्रभार जारी नहीं रखें।

अत: भविष्य में सभी स्थानान्तरित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिसूचित पद का प्रभार ग्रहण करने के पूर्व निश्चित रूप से अपने पूर्व पद का प्रभार अपने प्रतिस्थानी को सौंप दें या उसका परित्याग कर दें। किसी भी स्थिति में बिना आदेश के अपने पूर्व पद पर नहीं बने रहें।

कृपया इस निदेश का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय एवं अधीनस्थों को भी इससे अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/- बी० पी० वर्मा

मुख्य सचिव, बिहार।

------

[3]

पत्र संख्या-18 (क) / 8010/97 का०-607

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री नवीन कुमार, सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची / महाधिवक्ता, बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक 15 सितम्बर, 1997

विषय :- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायक संयुक्त संवर्ग के सदस्यों के स्थानांतरण / पदस्थापन के प्रसंग में सी. डब्लू. जे. सी. संख्या-5502/97 विजय कुमार साव बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में न्यायालय द्वारा दिये गये निदेश के अनुपालन का अनुरोध ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार आपका ध्यान इस विभाग के पत्रांक 880 दिनांक 19.9.1996 में निहित प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसकी कंडिका-2 में यह व्यवस्था स्पष्ट की गई है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायक संयुक्त संवर्ग के कर्मचारियों / पदाधिकारियों की सेवा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को पहले से सूचना दिये बिना और पर्याप्त कारणों के रहे बिना ही इस विभाग में लौटाई नहीं जाय । इसके बावजूद कई विभागों में इस संवर्ग के सदस्यों की सेवा अचानक एवं अकारण ही इस विभाग में लौटाने की प्रवृत्ति प्रचलित रही, जिसके फलस्वरूप नियमन तथा वित्तीय अनुशासन की समस्यायें भी उभर कर सामने आईं ।

इसी विषय बिन्दु को लेकर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक रिटयाचिका सी. डब्लू. जे. सी. संख्या-5502/97 विजय कुमार साव बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर हुई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अन्य निदेशों के साथ ही एक निदेश यह भी दिया गया है कि कोई भी विभाग सहायक संयुक्त संवर्ग के सदस्यों की सेवा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में पहले से सूचना दिये बिना और नियंत्री विभाग की पूर्व अनुमति लिये बिना वापस नहीं करेगा ।

अत: माननीय उच्च न्यायालय के उक्त फैसले की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उसमें निहित निदेश के अचूक अनुपालन की व्यवस्था कृपया सुनिश्चित की जाय । इस संवर्ग के सदस्यों की सेवा भविष्य में अचानक एवं अकारण वापस नहीं की जाय और यदि किसी मामले में ऐसा करना अत्यन्त ही अपरिहार्य प्रतीत हो, तो उसके लिये यथेष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व अनुमति अवश्य ही प्राप्त कर ली जाय ।

इसकी प्राप्ति सूचित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/– नवीन कुमार

सचिव ।

In the High Court of Judicature at Patna

C. W. J. C. No. 5502 of 1997

Vijay Kumar Sao Vrs State of Bihar & Ors.

For the petitioner : Mr. R. K. Tiwary, Adv.
For the State : M/s Rameshwar Prasad, A.G.
Shashi Bhushan Kumar, J.C. to A.G.

22-07-97 : The writ petition has been filed by the petitioner against the order dated 15th May, 1997 by which the service of the petitioner has been sent back by Health Medical Education and Family Welfare Department to the Personnel and Administrative Reforms Department of the State of Bihar, along with another Shri Shatrughan Lal Das.

The petitioner, an Assistant under the respondent State has challenged the impugned order on the gound that the Health Medical Education and Family Welfare Department has got no jurisdiction to sent back the service of the petitioner to the Personnel and Administrative Reforms Department.

Admittedly, the cadre of ministerial staffs from the rank of Assistants up to the rank of Under Secretary of all the departments of the State of Bihar at Secretariat and attached offices level have been made as a joint cadre since 30th August, 1988 in pursuance of an Act. The cadre controlling authority is Personnel and Administrtive Reforms Department. The Service of one or other Assistants or member of such Joint Cadre is placed under one or other department by the Personnel and Administrative Reforms Department. The service of this petitioner was placed under the Health Department by the said Personnel and Administrative Reforms Department, but by the impugned order (Annexure–2) the services have been sent back to the Personnel and Administrative Reforms Department.

Time was granted to the respondents to file counter affidavits and to state as to whether the authorities under the Health Department have jurisdiction to sent back the service of the petitioner or not. While, a counter affidavit has been filed on behalf of the authorities of Health Department, another counter affidavit has been filed on behalf of the authorities of the Personnel and Administrative Reforms Department. At paragraph 2 to the counter affidavit filed by the authorities of the Personnel and Administrative Reforms Department, it has been accepted that the employees/members of Joint Cadre, their services cannot be returned back to the Personnel and Administrative Reforms Department without prior information and without sufficient reason in terms with circular No. 880 dated 19th June, 1996. It has further been stated therein that though there is a sufficient ground for return of the service of the petitioner, but no prior information was given by the Health Department to Personnel and Administrative Reforms Department. However, from the plain reading of the said counter affidavit, it appears that the Personnel and Administrative Reforms Department of the State of Bihar is not averse to sending the service of the petitioner under them.

In the light of the counter affidavit filed on behalf of Personnel and Administrative Reforms Department, I am not inclined to interfere with the impugned order. The Personnel and Administrative Reforms Department authorities are directed to give a posting in favour of the petitioner against a clear vacant post of Assistant within 15 days from the date of receipt/ production of a copy of this order. However, I make it clear that the authorities under the respondent State in all of its departments including Health Medical Education and Family Welfare Department will not sent back the service of any member of the Joint Cadre to the Personnel Department without prior information and approval of the Personnel and

Administrative Reforms Department in future till power is vested by the Personnel and Administrative Reforms Department to the other departments. So far as arrears of salary is concerned, the respondent will release the admitted arrears of salary in favour of the petitioner within a period of one month from the date of joining of the petitioner against a clear vacant post.

The writ petition stands disposed of with the aforesaid observation and direction.

Let a copy of this order be handed over to the counsel for the parties.

Sd/— S. J. Mukhopadhaya.

------

[4]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय :- **सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के सहायकों / पदाधिकारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण के संबंध में नीति एवं प्रक्रिया।**

सरकारी सेवकों के पदस्थापन / स्थानान्तरण के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-14747, दिनांक 6-9-79 एवं 16609 दिनांक 18-10-79 तथा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या 3918 दिनांक 25-10-80 एवं 3445, दिनांक 7-9-81 द्वारा नीति एवं प्रक्रिया निर्धारित है। सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के गठन के पश्चात् उक्त संवर्ग की विशिष्ट प्रकृति और महत्ता को दृष्टि में रखते हुये संयुक्त संवर्ग के सहायकों / पदाधिकारियों के पदस्थापन / स्थानान्तरण के लिये अलग से नीति एवं प्रक्रिया निर्धारित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। अत: पूर्ण विचारोपरान्त प्रशासन को चुस्त एवं दुरुस्त बनाने और संयुक्त संवर्ग के सहायकों पदाधिकारियों को उसकी विशिष्ट भूमिका के मद्देनजर सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के सहायकों / पदाधिकारियों के पदस्थापन / स्थानान्तरण के लिये निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

1. सामान्यत: सभी स्थानान्तरण / पदस्थापन वर्ष में सिर्फ दो बार अर्थात् प्रतिवर्ष मई-जून में और नवम्बर-दिसम्बर में किया जायेगा। किन्तु प्रोन्नति के उपरान्त पदस्थापन किसी भी समय किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में (जैसे मृत्यु, बीमारी, रिक्ति एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से) इस बीच में भी स्थानान्तरण / पदस्थापन सक्षम पदाधिकारी का आदेश प्राप्त कर किया जायेगा।
2. सहायक के पद पर किसी विशेष विभाग / कार्यालय में पदस्थापन की अवधि साधारणत: दस वर्ष होगी। प्रशाखा पदाधिकारी, निबंधक, अवर सचिव और उप सचिव के पद पर किसी विशेष विभाग / कार्यालय में पदस्थापन की अवधि सामान्यत: तीन वर्षों की होगी।
3. पदस्थापन / स्थानान्तरण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में संयुक्त संवर्ग के लिये आयुक्त एवं सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित स्थापना समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जायेगा।
4. उप सचिव और अवर सचिव के पद पर पदस्थापना / स्थानान्तरण स्थापना समिति की अनुशंसा के बाद मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त कर किया जायेगा। जबकि निबंधक, प्रशाखा पदाधिकारी और सहायकों का पदस्थापन/स्थानान्तरण स्थापना समिति की अनुशंसा से आयुक्त एवं सचिव/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग करेंगे।

5. पदाधिकारियों/सहायकों के पदस्थापन/स्थानान्तरण में निम्न मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा–

(क) उप सचिव/अवर सचिव और निबंधक के पद पर पदाधिकारियों का पदस्थापन/स्थानान्तरण उस विभाग समूह से भिन्न विभाग समूह या कार्यालय में किया जायेगा जिसमें वह कार्यरत हैं । जैसे विनियंत्रण संबंधी विभाग समूह में कार्यरत पदाधिकारियों का पदस्थापन / स्थानान्तरण कार्य विभाग, विकासात्मक विभाग या सेवा विभाग में किया जायेगा । लेकिन सेवा निवृत्ति के अंतिम वर्ष में किसी पदाधिकारी के अनुरोध पर उन्हें उसी विभाग समूह में पदस्थापित करने पर विचार किया जायेगा किन्तु उन्हें उस विभाग/कार्यालय में पदस्थापित नहीं किया जायेगा जिसमें वह कार्यरत हैं ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-7/पी०एस०सी० 3-101/88 का०-2653 दिनांक 28-2-89 द्वारा सरकार के विभागों को चार समूहों में विभक्त किया गया है । विभाग समूहों की सूची इसके साथ संलग्न है ।

(ख) प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर पदाधिकारी का पदस्थापन / स्थानान्तरण किसी भी विभाग समूह या सचिवालय के संलग्न कार्यालयों में किया जा सकेगा । किन्तु उस विभाग/कार्यालय में पदस्थापित/स्थानान्तरित नहीं किया जायगा, जहाँ वह दस वर्ष या उससे अधिक के लिये कार्य कर चुके हैं । सेवा निवृत्ति के अंतिम वर्ष में पदस्थापन / स्थानान्तरण के मामले में भी यह लागू होगा ।

(ग) कनीय/वरीय प्रवर कोटि सहायक के पद पर प्रोन्नत वैसे सहायकों का पदस्थापन/स्थानान्तरण भी किया जायेगा जिनकी सेवायें दस वर्ष या अधिक हो गयी हैं । किन्तु उन्हें उसी विभाग समूह में पदस्थापित/स्थानान्तरित किये जाने पर विचार किया जा सकता है जिस विभाग समूह में वह कार्यरत हैं । दस वर्ष से अधिक से एक विभाग/कार्यालय में कार्यरत सहायकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन भी इसी नीति के तहत किया जायेगा ।

(घ) उप सचिव, अवर सचिव, निबंधक और प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर पदाधिकारी का पदस्थापन/स्थानान्तरण उस विभाग/कार्यालय में नहीं किया जायेगा जिस विभाग/कार्यालय में वे कभी भी दस वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए कार्य कर चुके हैं । इसके लिये सभी सहायकों / पदाधिकारियों का अद्यतन एवं पूर्ण सेवा इतिहास कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा रखा जायेगा ।

(ङ) प्रत्येक विभाग / विभागाध्यक्ष अपने विभाग में संयुक्त संवर्ग के प्रत्येक पद के अद्यतन रिक्ति की सूची प्रत्येक त्रैमासान्त में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (संयुक्त संवर्ग प्रशाखा) को उपलब्ध करायेंगे और विभिन्न विभागों / कार्यालयों में पदस्थापन / स्थानान्तरण रिक्ति को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा ।

6. यदि कोई पदाधिकारी, जिनके पदस्थापन की अवधि समाप्त होने वाली है, अपने स्थानान्तरण / पदस्थापन के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहें तो हर वर्ष मार्च / अगस्त तक सक्षम पदाधिकारी के पास इसे स्थानान्तरण / पदस्थापन के समय विचार के लिये भेज सकते हैं ।

7. स्थानान्तरित / पदस्थापित पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर 15 दिनों के अंदर विचार किया जायेगा बशर्त्ते वह निर्धारित प्रशासनिक माध्यम से प्रस्तुत किया गया हो। स्थानान्तरित / पदस्थापित सहायकों / पदाधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश का अनुपालन आदेश निर्गत होने के बाद एक महीने भीतर करना होगा। यदि वे इस आदेश की अवहेलना करेंगे तो उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

८. यदि कोई पदाधिकारी अपने स्थानान्तरण / पदस्थापन के संबंध में बाह्य व्यक्ति से सिफारिश कराते हैं या प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने का मौका देकर, यह बात उनकी चरित्र पुस्ती में दर्ज कर दी जायेगी।

9. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-88 दिनांक 19-9-96 के निर्देश के अनुरूप सभी विभागों के सचिव/विभागाध्यक्ष संयुक्त संवर्ग के सहायकों/पदाधिकारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण के आदेश के उपरान्त उन्हें विभाग/कार्यालय में पदस्थापन और विरमित करने संबंधी कार्रवाई करेंगे। यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक के असाधारण अंक में तुरत प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / सभी प्रमंडलायुक्तों / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/– नवीन कुमार
सचिव।

ज्ञापांक-सं०सं० (18ख)-201/96 का०-606 पटना-15, दिनांक 15 सितम्बर, 97

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को विभाग समूहों की सूची के साथ बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 1000 प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब भेजें।

ह०/– नवीन कुमार
सचिव।

ज्ञापांक-सं०सं० (18ख)201 / 96 का०-606 पटना-15, दिनांक 15 सितम्बर, 97

प्रतिलिपि– सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/महाधिवक्ता, बिहार, पटना को विभाग समूहों की सूची के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/– नवीन कुमार
सचिव।

विभाग समूहों की सूची

परिशिष्ट

समूह (क) : विनियंत्रण संबंधी विभाग

1. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (निगरानी, निर्वाचन, प्रोटोकोल तथा मुख्यमंत्री सचिवालय सहित), स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली।
2. गृह विभाग
3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
4. राजभाषा विभाग
5. संसदीय कार्य विभाग
6. वित्त विभाग
7. खान एवं भूतत्व विभाग
8. परिवहन एवं नागरिक उड्डयन विभाग
9. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
10. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
12. साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग
13. विधि विभाग
14. प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय
15. महाधिवक्ता, बिहार, पटना का कार्यालय
16. शाखा सचिवालय, राँची

समूह (ख) : कार्य विभाग

1. जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई विभाग सहित)
2. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
3. पथ निर्माण विभाग
4. भवन निर्माण एवं आवास विभाग
5. ग्रामीण विकास विभाग (केवल ग्राम्य अभियंत्रण संगठन)

समूह (ग) : विकासात्मक विभाग

1. योजना एवं विकास विभाग
2. ग्रामीण विकास विभाग (ग्राम्य अभियंत्रण संगठन रहित)
3. नगर विकास विभाग
4. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
5. औद्योगिक विकास विभाग
6. ईख विभाग
7. वन एवं पर्यावरण विभाग
   (प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, राँची सहित)
8. कृषि विभाग

9. सहकारिता विभाग
10. पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग
11. ऊर्जा विभाग
12. पर्यटन विभाग
13. 20 सूत्री कार्यक्रम विभाग
14. क्षेत्रीय विकास आयुक्त का कार्यालय, राँची

समूह (घ) : सेवा विभाग

1. मानव संसाधन विकास विभाग
2. स्वास्थ्य विभाग
3. चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
4. परियोजना एवं सांस्थिक वित्त विभाग
5. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
6. खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

ह०/– नवीन कुमार
सचिव ।

------

[5]

बिहार-सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय :- बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के पदस्थापन / स्थानान्तरण के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त ।

मंत्रिमंडल सचिवालय ने सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन की नीति और प्रक्रिया के संबंध में एक संकल्प ज्ञाप संख्या 3918, दिनांक 25 अक्टूबर, 1980 द्वारा निर्गत किया है, जिसमें यह उल्लेख है कि हर विभाग में स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के लिए एक स्थापना समिति का गठन किया जायेगा और इस समिति के लिये एक मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार किये जायेंगे ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 1541, दिनांक- 6-2-1982 में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के पदस्थापन / स्थानान्तरण के लिये कार्मिक विभाग में गठित स्थापना समिति के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है । पिछले कुछ वर्षों के अनुभवों के आधार पर इन सिद्धान्तों में फेर-बदल करने की आवश्यकता महसूस की गयी है । उक्त आलोक में विचारोपरान्त संकल्प संख्या 1541, दिनांक 6-2-1982 को विलोपित करते हुए निम्नांकित मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये जाते हैं–

बेसिक ग्रेड (उप समाहर्त्ता) :–

(क) बिहार प्रशासनिक सेवा में नियुक्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान अन्यत्र पदस्थापित नहीं किया जाय, तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जाय ।

(ख) प्रशिक्षण के उपरान्त उन पदाधिकारियों को समाहरणालय या अनुमंडल कार्यालय में कार्यपालक दंडाधिकारियों के रूप में दो वर्ष के लिये पदस्थापित किया जाय, जहाँ उन्हें मुख्यत: राजस्व शाखा, विकास शाखा, सामान्य शाखा, स्थापना से संबंधित विषय आबंटित किये जायें ।

(ग) समाहरणालय या अनुमंडल कार्यालयों में दो वर्ष की सेवा पूरी होते ही इनकी सेवायें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सौंपी जाय, जहाँ उन्हें अंचलाधिकारी या सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के रूप में एक पदावधि (3 वर्ष) तक पदस्थापित रखा जाय तथा इस अवधि में उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को छोड़कर अन्य किसी विभाग में पदस्थापित नहीं किया जाय ।

(घ) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत तीन वर्ष तक सेवा पूरी हो जाने के बाद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा सेवायें वापस लेकर ग्रामीण विकास विभाग में सेवा सौंपने के प्रस्ताव पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे ।

(ङ) उपर्युक्त चार से छ: वर्षों की अवधि पूरी होने के बाद इन पदाधिकारियों की सेवायें अन्य विभागों यथा कल्याण विभाग / नगर विकास विभाग / खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य या अन्य किसी विभाग में सौंपी जाय ।

कनीय प्रवर कोटि :–

(क) कनीय प्रवर कोटि मिलने पर पदाधिकारी को यथासंभव ऐसे पद पर पदस्थापित किया जायेगा जो कि कनीय प्रवर कोटि के पद माने गये हैं या इनके समकक्ष माने गये हैं । जैसे अपर अनुमंडल पदाधिकारी (हदबंदी), जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी आदि ।

(ख) अनुमंडल पदाधिकारी, अवर सचिव एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य-निगम के रूप में पदाधिकारी का पदस्थापन सामान्यत: कनीय प्रवर कोटि में वरीयता तथा उपयुक्तता के आधार पर किया जायेगा ।

(ग) अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में पदस्थापन कनीय प्रवर कोटि के उन्हीं पदाधिकारियों में से किया जायेगा जिनकी आयु 50 वर्ष से कम हो । कनीय प्रवर कोटि के जो पदाधिकारी 50 वर्ष से ऊपर के हों, उन्हें वरीयता एवं उपयुक्तता को ध्यान में रखकर यथासंभव अनुमंडल पदाधिकारियों के समकक्ष पद/अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जायेगा ।

वरीय प्रवर कोटि :–

(क) अपर जिला दंडाधिकारी कोटि में प्रोन्नत होने पर हर पदाधिकारी को सामान्यत: कम-से-कम एक पदस्थापन काल तक क्षेत्र में काम करना होगा ।

(ख) सचिवालय में उप सचिव एवं संयुक्त सचिव के रूप में पदस्थापन करते समय वरीयता एवं उपयुक्तता को ध्यान में रखा जायेगा ।

वरीय अपर जिला दंडाधिकारी :–

वरीय अपर जिला दंडाधिकारी (सुपर टाईम श्रेणी-I) की श्रेणी के पदाधिकारियों को यथासंभव सरकार के संयुक्त सचिव, उप विकास आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला पर्षद, लोक उद्यम एवं अन्य समकक्ष पदों पर पदस्थापित किया जायेगा ।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प ज्ञाप संख्या 3918, दिनांक 25-10-80 के खंड "ए" की कंडिका-7 में प्रावधान है कि सरकारी सेवक जिसका पदस्थापन अवधि समाप्त होने को है, सक्षम पदाधिकारी के पास अपना स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के लिये पहली मार्च/पहली अगस्त तक अभ्यावेदन दे सकते हैं। समिति सामान्यत: उन्हीं अभ्यावेदनों पर विचार करेगी जो उचित माध्यम से उपस्थापित होंगे।
3. समिति पदाधिकारी के पूर्ववर्ती पदस्थापनों और स्थानांतरणों पर तथा उनके स्थानों पर विचार कर लेगी ताकि पदाधिकारी को यथासंभव राज्य के तीन व्यापक क्षेत्र (जोन) जैसे छोटानागपुर एवं संथालपरगना, उत्तर बिहार और राज्य के शेष भाग में काम करने का अवसर प्राप्त हो।
4. साधारणत: एक पदस्थापन उत्तर बिहार में और एक पदस्थापन दक्षिण बिहार में होगा। पर किसी भी हालत में 3 पदस्थापनों में से एक पदस्थापन किसी पदाधिकारी का उत्तर बिहार में होगा।
5. किसी स्थान पर या किसी जिला में किसी अधिकारी का पदस्थापन 5 साल से ज्यादा नहीं होगा। पटना एवं राँची में नन-फिल्ड्स पदस्थापन को छोड़कर।
6. जहाँ किसी पदाधिकारी की सेवायें किसी अन्य विभाग में सौंपी गयी हो वहाँ उसे एक ही विभाग में यथासंभव 5 वर्ष से अधिक नहीं रहने दिया जाय, परन्तु एक ही पद पर तीन वर्ष से अधिक सामान्यत: नहीं रहने दिया जाय।
7. जैसा कि उपरोक्त संकल्प के खंड-1, कंडिका-3 में उल्लेख है, किसी पदाधिकारी की अन्तिम पदस्थापन के अन्तिम वर्ष में यथासंभव उसके द्वारा अनुरोध किये गये पद/स्थान पर किया जाय।
8. जैसा कि उपरोक्त संकल्प की खंड "ए" की कंडिका-2 में उल्लेख है कि किसी पद एवं स्थान पर पदस्थापन की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष की होगी परन्तु एक पद/स्थान पर कालावधि दो वर्ष की होगी जिसका उल्लेख विभाग द्वारा अलग आदेश द्वारा समय-समय पर किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में जनहित को देखते हुए एवं प्रशासनिक कारणों से इस कालावधि में परिवर्त्तन कर किसी पदाधिकारी का स्थानांतरण/पदस्थापन 2/3 वर्ष के पूर्व भी किया जा सकता है।
9. ऐसा पाया गया है कि विभिन्न विभागों में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवायें सौंपे जाने के बाद उन्हें काफी समय तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहना पड़ता है। भविष्य में किसी भी विभाग में सेवा सौंपने के पूर्व कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को संबंधित विभाग से रिक्तियों की संख्या तथा उनके स्थानों की सूची प्राप्त करने के बाद ही पदाधिकारियों की सेवायें दूसरे विभाग में सौंपी जाय। सेवा सौंपते समय यह स्पष्ट कर दिया जाय कि जिन पदाधिकारियों की सेवा सौंपी जा रही है उन्हें यदि 45 दिनों के अन्दर विभाग द्वारा पदस्थापित नहीं कर दिया जाता है, तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उस विभाग से रिक्त पदों के विरुद्ध निर्धारित स्थानों पर इन पदाधिकारियों को सीधे पदस्थापित कर दिया जायगा।
10. कोई भी विभाग बिहार प्रशासनिक सेवा के किसी भी पदाधिकारी की सेवा अपने आप वापस नहीं करेगा। उसी प्रकार कोई भी विभाग बिना सेवा सौंपे बिहार प्रशासनिक सेवा के किसी पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं करेगा।
11. विशेष परिस्थिति में या प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग उपरोक्त मार्गदर्शन को शिथिल कर स्थानान्तरण / पदस्थापन कर सकता है।
12. ये आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजपत्र में असाधारण अंक में तुरत प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलायुक्तों एवं सभी जिलाधिकारियों को सूचनार्थ अग्रसारित किया जाय। उपरोक्त आदेश उन विभागों पर भी लागू होगा जिन्हें कार्मिक विभाग द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवा सौंपी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/– बी० के० हलधर
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-14/प 2-2118/94 का०-1231 पटना-15, दिनांक 6 फरवरी, 1997

प्रतिलिपि, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु अग्रसारित। उनसे यह अनुरोध है कि इसकी एक हजार प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराये।

ह०/– आर० के० खंडेलवाल
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-14/प 2-2118/94 का०-1231 पटना-15, दिनांक 6 फरवरी, 1997

प्रतिलिपि, सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- आर० के० खंडेलवाल
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

विषय :- बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण के लिए कार्मिक विभाग में गठित स्थापना समिति के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त।

मंत्रिमंडल सचिवालय ने सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन की नीति और प्रक्रिया के सम्बन्ध में एक संकल्प ज्ञाप संख्या 3918, दिनांक 25 अक्टूबर, 1980 द्वारा निर्गत किया है, जिसमें यह उल्लेख है कि हर विभाग में स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के लिए एक स्थापना समिति का गठन किया जायेगा और इस समिति के लिए एक मार्गदर्शन के लिए सिद्धान्त तैयार किये जायेंगे। इस संकल्प के सन्दर्भ में स्थापना समिति के लिये बिहार असैनिक सेवा के पदाधिकारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शन मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से जारी किये जाते हैं।

उप-समाहर्त्ता :-

(क) बिहार असैनिक सेवा के पदाधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सामान्यत: 6 वर्ष तक क्षेत्रीय सेवा जैसे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/चकबन्दी पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(ख) क्षेत्रीय सेवा पूरी होने के बाद उप-समाहर्त्ता को अनुमण्डल/जिला मुख्यालय में सामान्य पक्ष में साधारणत: एक कालावधि तक पदस्थापित रखा जायेगा ।

(ग) क्षेत्रीय सेवा एवं सामान्य पक्ष में कार्य करने के बाद उप-समाहर्त्ता को उनकी वरीयता एवं उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए सरकार के विभिन्न विभाग/निगमों में तथा अन्य विशेष वेतन वाले पदों पर पदस्थापित किया जायेगा ।

कनीय प्रवर कोटि :-

(क) कनीय प्रवर कोटि मिलने पर पदाधिकारी को यथासम्भव ऐसे पद पर पदस्थापित किया जायेगा जो कि कनीय प्रवर कोटि के पद माने गये हैं या इनके समकक्ष माने गये हैं जैसे अपर अनुमण्डल पदाधिकारी (हदबन्दी), जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी आदि ।

(ख) अनुमण्डल पदाधिकारी, अवर सचिव एवं जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम के रूप में पदाधिकारी का पदस्थापन सामान्यत: कनीय प्रवर कोटि में वरीयता तथा उपयुक्तता के आधार पर किया जायेगा ।

(ग) अनुमण्डल पदाधिकारी के रूप में पदस्थापन कनीय प्रवर कोटि के उन्हीं पदाधिकारियों में से किया जायेगा जिनकी आयु 50 वर्ष से कम हो । कनीय प्रवर कोटि के जो पदाधिकारी 50 वर्ष से ऊपर के हों उन्हें वरीयता एवं उपयुक्तता को ध्यान में रखकर यथासम्भव अनुमण्डल पदाधिकारियों के समकक्ष पद अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया जायेगा ।

वरीय प्रवर कोटि :-

(क) अपर जिला दण्डाधिकारी कोटि में प्रोन्नत होने पर हर पदाधिकारी को सामान्यत: कम-से-कम एक कालावधि तक क्षेत्र में काम करना होगा ।

(ख) सचिवालय में उप-सचिव एवं संयुक्त सचिव के रूप में पदस्थापन करते समय वरीयता एवं उपयुक्तता को ध्यान में रखा जायेगा ।

वरीय अपर जिला दण्डाधिकारी :-

वरीय अपर जिला दण्डाधिकारी की श्रेणी के पदाधिकारियों को यथासम्भव सरकार के संयुक्त सचिव, उप-विकास आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला पर्षद, लोक उद्यम एवं अन्य समकक्ष पदों पर पदस्थापित किया जायेगा ।

3. उपरोक्त सरकारी संकल्प के खण्ड "ए" की कण्डिका 7 में प्रावधान है कि सरकारी सेवक जिसका पदस्थापन अवधि समाप्त होने को है सक्षम पदाधिकारी के पास अपना स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के लिये पहली मार्च/पहली अगस्त तक अभ्यावेदन दे सकते हैं । समिति सामान्यत: उन्हीं अभ्यावेदनों पर विचार करेगी जो उचित माध्यम से उपस्थापित होंगे ।

4. समिति पदाधिकारी के पूर्ववर्ती पदस्थापनों और स्थानान्तरणों पर तथा उनके स्थानों पर विचार कर लेगी ताकि पदाधिकारी को यथासम्भव राज्य के तीन व्यापक क्षेत्र (जोन) जैसे छोटानागपुर एवं संथालपरगना उत्तर बिहार और राज्य के शेष भाग में काम करने का अवसर प्राप्त हो ।

5. साधारणत: एक पदस्थापन उत्तर बिहार में और एक पदस्थापन दक्षिण-बिहार में होगा । पर किसी भी हालत में 3 पदस्थापनों में से एक पदस्थापन किसी पदाधिकारी का उत्तर बिहार में होगा ।

6. किसी स्थान पर या किसी जिला में किसी अधिकारी का पदस्थापन 5 साल से ज्यादा नहीं होगा (पटना में नन फील्ड्स पदस्थापन को छोड़कर)।

7. जहाँ किसी पदाधिकारी की सेवाएं किसी अन्य विभाग में सौंपी गयी हो वहाँ उसे एक ही विभाग में यथासम्भव 5 वर्ष से अधिक नहीं रहने दिया जाये परन्तु एक ही पद पर तीन वर्ष से अधिक सामान्यत: नहीं रहने दिया जाये।

8. जैसा कि उपरोक्त संकल्प के खण्ड 1 कण्डिका 3 में उल्लेख है, किसी पदाधिकारी की अन्तिम पदस्थापन के अन्तिम वर्ष में यथासम्भव उनके द्वारा अनुरोध किये गये पद / स्थान पर किया जाये।

9. जैसा कि उपरोक्त संकल्प की खण्ड "ए" की कण्डिका 2 में उल्लेख है कि किसी पद एवं स्थान पर पदस्थापन की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष की होगी परन्तु कुछ पद/स्थान पर कालावधि दो वर्ष की होगी जिसका उल्लेख विभाग द्वारा अलग आदेश द्वारा समय-समय पर किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में जनहित को देखते हुए एवं प्रशासनिक कारणों से इस कालावधि में परिवर्त्तन कर किसी पदाधिकारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन 2/3 वर्ष के पूर्व भी किया जा सकता है।

10. यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

11. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरत प्रकाशित किया जाये और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलायुक्तों एवं सभी जिलाधिकारियों को सूचनार्थ अग्रसारित की जाये। उपरोक्त आदेश उन विभागों पर भी लागू होगा जिन्हें कार्मिक विभाग द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियां की सेवा सौंपी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/– के० बी० सक्सेना
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञाप संख्या 1541, पटना-15, दिनांक 6 फरवरी, 1982

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के साधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु अग्रसारित। उनसे यह अनुरोध है कि इसकी एक हजार प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करावें।

नरेन्द्र कुमार पाण्डेय
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या 1/प 1-30 396/80 का०-1541 पटना-15, दिनांक 6 फरवरी, 1982

प्रतिलिपि– सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

नरेन्द्र कुमार पाण्डेय
सरकार के संयुक्त सचिव।

सं० सीएस 3/एम 3–1016/80–3918*

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

संकल्प

25 अक्तूबर 1980

विषय :– सरकारी सेवकों के पदस्थापन/स्थानान्तरण के संबंध में नीति एवं प्रक्रिया ।

सरकारी सेवकों के पदस्थापन/स्थानान्तरण के संबंध में समय-समय पर नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 14747, दिनांक 6 सितम्बर, 1979 एवं संख्या 16609, दिनांक 18 अक्तूबर, 1979 द्वारा निर्धारित नीति एवं प्रक्रिया वर्त्तमान में लागू हैं, परन्तु इसे जिस उद्देश्य से लागू किया गया था, उसकी पूर्त्ति नहीं हो पाई है । अतः सरकार द्वारा इस मामले में पुनर्विचार किया गया एवं वर्त्तमान नीति एवं प्रक्रिया को चुस्त एवं दुरुस्त बनाने के लिये उपरोक्त पूर्वादेश को अवक्रमित करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

(क) स्थानान्तरण/पदस्थापन के लिये सामान्य नीति ।

1. सामान्यतः सभी स्थानान्तरण/पदस्थापन साल में सिर्फ दो बार किया जायगा, अर्थात प्रतिवर्ष मई-जून में तथा नवम्बर-दिसम्बर में ।

विशेष परिस्थिति में, जैसे मृत्यु, बीमारी, रिक्ति एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से, इस बीच में भी स्थानान्तरण/पदस्थापन निम्नलिखित शर्तों पर किया जा सकता है :–

(i) जिन पदाधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन मंत्री स्तर से या मंत्रिपरिषद से होता है, उन मामलों में मुख्य मंत्री का आदेश प्राप्त कर ही स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाय ।

(ii) जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन किसी अवर-पदाधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन किया जाता है, उन्हें अपने से उच्चतर पदाधिकारी (इमीडियेट सुपीरियर आफिसर) की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी ।

2. प्रत्येक पद पर या किसी विशेष स्थान पर पदस्थापन की अवधि साधारणतः तीन साल होगी । किसी विशेष पद या स्थान के लिये पदस्थापन दो साल के लिये भी किया जा सकता है जिसे विभाग द्वारा स्थायी आदेश के जरिये निर्धारित करना होगा ।

3. जहां तक संभव हो, सेवा निवृत्ति के अंतिम वर्ष में पदाधिकारी को अपने मनोनुकूल स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में उनके अनुरोध पर सहानुभूति के साथ विचार किया जायगा ।

4. किसी विशेष सम्वर्ग के संबंध में नियम/विनियम के अधीन रहते हुए, जहां तक संभव हो, वर्ग-3 के क्षेत्रीय (फील्ड) कर्मचारी का पदस्थापन सामान्यतः उसी प्रमंडल/सर्किल/रेन्ज में किया जायगा जिसमें उनका घर पड़ता है मगर अपने घर के जिले में उनका पदस्थापन नहीं होगा । यह प्रतिबंध जिला स्तरीय सम्वर्ग/पद पर लागू नहीं होगा ।

5. यदि किसी विभाग द्वारा सामान्यतः अन्य विभागों से सरकारी सेवकों की सेवायें प्राप्त कर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है तो पैतृक विभाग प्रत्येक छमाही में सुयोग्य पदाधिकारी की सूची तैयार करेंगे जिससे अधियाची विभाग आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति के लिये पदाधिकारी की सेवायें प्राप्त कर सकेंगे । यह सूची प्रत्येक वर्ष मार्च एवं अगस्त महीने में तैयार करके अधियाची विभाग के पास भेज दिया जायगा ।

* बिहार गजट असाधारण अंक सं० 1043, दिनांक 29 अक्तूबर 1980 में प्रकाशित ।

6. सेवा-निवृत्ति के बाद किसी सरकारी सेवक की सेवा का विस्तार या प्रतिनियुक्ति नहीं की जायगी।

7. यदि कोई पदाधिकारी जिनके पदस्थापन की अवधि समाप्त होनेवाली है, अपने स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहें तो वे हर साल 1 मार्च/अगस्त तक सक्षम पदाधिकारी के पास इसे स्थानान्तरण/पदस्थापन के समय विचार के लिये भेज सकते हैं। वर्त्तमान वर्ष में ऐसे निवेदन, यदि कोई हों, इस संकल्प के निर्गत होने के एक महीने के अन्दर किया जा सकता है।

8. स्थानान्तरण/पदस्थापन से प्रभावित पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर 15 दिनों के अन्दर विचार किया जायगा बशर्ते वह निर्धारित प्रशासनिक माध्यम से प्रस्तुत किया गया हो। स्थानान्तरित/पदस्थापित सरकारी सेवकों द्वारा स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश का अनुपालन आदेश निर्गत होने के बाद एक महीने के अन्दर करना होगा। यदि वे इस आदेश की अवहेलना करेंगे तो उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जायगी।

9. यदि कोई पदाधिकारी अपने स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में बाह्य व्यक्ति से सिफारिश कराते हैं या प्रभाव डालने के प्रयास करते हैं तो उन्हें अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने का मौका देकर, यह बात उनकी चरित्र पुस्तिका में दर्ज कर दी जायगी।

10. सरकारी सेवकों द्वारा सीधे विभागीय मंत्री को स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में प्रार्थना-पत्र सम्बोधित किये जाने की पद्धति अनियमित है एवं इसे अमान्य कर दिया जाय। परन्तु यदि पदाधिकारी द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर संबंधित विभाग/पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही हो अथवा विलम्ब किया जा रहा हो तो ऐसे विलम्ब के विरुद्ध विभागीय मंत्री को अभ्यावेदन (मेमोरियल) दिया जा सकता है।

11. नियंत्रण पदाधिकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश प्राप्त होने पर अविलम्ब विरमित कर देंगे।

12. प्रत्येक विभाग अपने पदाधिकारियों के कैरियर मैनेजमेंट की एक निश्चित योजना सरकार की स्वीकृति से बनाएगा।

13. प्रत्येक विभाग अपने विभाग के प्रत्येक पद के लिये कार्य की आवश्यकता सूची (जौब रिक्वायरमेंट चार्ट) निर्धारित करेगा एवं उसी के अनुसार नियुक्ति की जायगी।

14. प्रत्येक विभाग अपने विभाग से संबंधित सेवा संवर्गों में नियुक्ति के लिये नियमावली बनायेगा, यदि यह अब तक नहीं बनाया गया हो।

(ख) स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में प्रक्रिया।

1. आरक्षी अधीक्षकों, जिला पदाधिकारियों, आरक्षी उप-महानिरीक्षकों, विभागाध्यक्षों, विभागीय सचिवों, विशेष सचिवों, आयुक्त एवं सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों तथा उसके समकक्ष उपर्युक्त कोटि के पदाधिकारी के अलावे ऐसे पदाधिकारी जिनके वेतनमान का अधिकतम वेतन 1,200 रु० से अधिक है, उनके स्थानान्तरण, पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव कार्यपालिका नियमावली की तृतीय अनुसूची के मद संख्या 29 के अनुसार मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जायगा।

1,200 रु० से अधिक, किन्तु 2,250 रु० से कम वेतनमान के पदाधिकारी संबंधी प्रस्ताव स्थापना समिति की अनुशंसा के बाद विभागीय मंत्री की स्वीकृति से मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जायगा।

2. जिस सरकारी सेवक के वेतनमान का अधिकतम वेतन 840 रु० से अधिक, किन्तु 1,200 रु० से अनाधिक हो उसका स्थानान्तरण, पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव उपर्युक्त स्थापना समिति की अनुशंसा के बाद प्रभारी मंत्री के आदेशार्थ उपस्थापित किया जायगा। जिस सरकारी सेवक के वेतनमान का अधिकतम वेतन 1200 रु० से अधिक हो, उसका स्थानान्तरण, पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव उपर्युक्त स्थापना समिति की अनुशंसा एवं प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जायगा।

3. ऐसे सरकारी सेवक जिनके वेतनमान का अधिकतम वेतन 840 रु० से अधिक न हो, जो कार्यालयों के प्रधान की प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्दर नहीं आता हो, उसका स्थानान्तरण/पदस्थापन विभागाध्यक्षों के द्वारा किया जायेगा। उसी रूप से कार्यालयों के प्रधान भी विभिन्न कोटि के सरकारी पदाधिकारियों एवं सेवकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में प्रत्यायोजित शक्ति का उपयोग करेंगे। विभागाध्यक्ष और कार्यालय प्रधान इन मामलों में उपर्युक्त स्थापना समिति की अनुशंसा प्राप्त कर ही कार्रवाई करेंगे।

(ग) स्थापना समिति का गठन।

1. विभागीय मंत्री की स्वीकृति से प्रत्येक विभाग में एक स्थापना समिति गठित की जायगी जिसके द्वारा उन पदाधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन की अनुशंसा की जायगी जिनके स्थानान्तरण/पदस्थापन सरकार द्वारा किया जाता है। इस स्थापना समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :–

(1) आयुक्त-सह-सचिव।

(2) वरीयतम विभागाध्यक्ष।

(3) एक विशेष सचिव/अपर सचिव।

(4) एक सुयोग्य वरीयतम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के पदाधिकारी।

(यदि विभाग में ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के पदाधिकारी उपलब्ध नहीं हों, तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मुख्य मंत्री की अनुमति से मनोनीत ऐसे सुयोग्य पदाधिकारी।)

प्रभारी मंत्री विभागीय स्थापना समिति के लिये प्रारम्भ में मार्गदर्शक सिद्धान्त बनायेंगे। उसी रूप से विभागीय मंत्री की स्वीकृति से विभागाध्यक्षों के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाया जायगा। कैरियर मैनेजमेंट योजना बनने एवं मंत्री की स्वीकृति के बाद मार्गदर्शक सिद्धान्त में आवश्यक संशोधन किया जायगा जिससे कि वह उपर्युक्त योजना के अनुरूप हो।

2. विभागाध्यक्ष के स्तर पर स्थानान्तरण/पदस्थापन के लिए भी एक स्थापना समिति विभाग द्वारा बनायी जायगी जिसमें विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त उनके अधीनस्थ 2 वरीयतम पदाधिकारी तथा एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के सदस्य रहेंगे।

3. कार्यालयों के प्रधान के स्तर पर भी एक स्थापना समिति विभाग द्वारा गठित की जायगी जिसमें कार्यालय के प्रधान अध्यक्ष होंगे और जिसमें अधिक-से-अधिक 5 और कम-से-कम 3 सदस्य रहेंगे। इन सदस्यों में एक अनुसूचित जाति/जन-जाति के सदस्य सम्मिलित रहेंगे।

2- ये आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को "बिहार राजपत्र" के असाधारण अंक में तुरन्त प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/सभी प्रमंडलायुक्तों/सभी जिलाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह०/– प्रेम प्रसाद नैय्यर
सरकार के मुख्य सचिव।

The 25th October, 1980

Subject— Policy and procedure regarding transfer and posting of Government servants.

The policy and procedure regarding transfer and posting of Government servants has been laid down by the State Government, from time to time. The policy and procedure as

laid down in the Personnel and Administrative Reforms Department's Resolution no. 14747, dated the 6th September 1979 and no. 16609, dated the 18th October 1979 which is enforced at present has failed to fulfil the desired objective. The matter has, therefore, been reconsidered by the State Government and with a view to further streamlining the policy and procedure of transfer and postings, the State Government have been pleased to take the following decisions in supersession of all previous orders :—

(A) *General policy regarding transfer and posting*—(1) Transfer and postings will generally be done twice, i.e., in May-June and November-December of each year : Provided that in special circumstances, e.g., death, illness, vacancy or other administrative reasons transfer and posting could be made at any other time subject to the following conditions :—

(i) in respect of officers whose transfer/posting is done with the approval of Minister or by Council of Ministers, specific prior approval of the Chief Minister has to be obtained; and

(ii) in respect of such officers and Government employees whose transfer and posting is done by subordinate officers under delegated powers of transfer, specific prior approval of the immediate superior officers is obtained.

(2) The duration of posting on any post and at any particular place will generally be for a period of 3 years. For some posts or places, the period of posting may, however, be kept for 2 years which should be specified by the departments by Standing Orders.

(3) In the last year of service, as far as possible, a Government servant's request for the transfer and posting at the place of his choice should be considered favourably.

(4) Subject to any rules/regulations in respect of a specific cadre, as far as possible, a class III Field Officer should ordinarily be posted within the Division/Circle/Range of his home district; but he should not be posted in his home district. These restricitions will not apply to district level cadres/posts.

(5) If a department normally obtains the services of Government servants from other departments on deputation and makes posting and transfer of such Government servants then the parent department should prepare a panel of such suitable officers every 6 months from which the requisitioning department can obtain the services of Government servants on deputation. Such panels should be prepared and sent to the user departments in March and August each year.

(6) No Government servants will be allowed extension of service or re-employment after retirement,

(7) If any officer, whose duration of posting is about to expire, intends to make any submission relating to his transfer/posting, he may do so before the competent authority by the 1st March/1st August each year for the consideration of the competent authority at the time of his transfer/posting. During this year, however, submissions, if any, may be made within one month of the issue of this Resolution.

(8) Any representation filed by the officer affected by the transfer/posting order, will be considered within 15 days provided it is filed through proper administrative channel. The officer under orders of transfer/posting would be required to carry out the orders within a month of the issue of orders and failure to comply within this period will attract disciplinary action.

(9) If any officer obtains any recommendations from an outsider or tries to bring upon any influence about his transfer and posting, this should be recorded in his Confidential Character Roll after giving him an opportunity to explain his conduct.

(10) The practice of addressing the departmental Ministers direct by Government servants in the matter of transfer/posting is irregular and would not be allowed. If, however, no action is taken by the concerned departments/officers on the representation filed by a Government servant or the matter is being delayed, the Government servant may file a memorial before the departmental Minister against such delay.

(11) The Controlling Officer will relieve his subordinate officer after receipt of the orders of transfer/posting without delay.

(12) Every department shall prepare a definite career management programme and obtain approval of Government.

(13) Every department would prepare a job requirement chart for every post in the department and appointment should be made accordingly.

(14) Every department should prepare Service Rules for the concerned cadres in the department if it has not already been done.

(B) *Procedure for transfer and posting.*— (1) Proposals for transfer, posting and deputation of officers whose maximum pay in the pay scale exceeds Rs. 1,200, in addition to the proposals for transfer, posting and deputation of Superintendents of Police, District Officers, Deputy Inspector-Generals of Police, Heads of Departments. Departmental Secretaries, Special Secretaries, Commissioners and Secretaries, Divisional Commissioners and officers of equivalent ranks, shall be placed before the Cabinet in accordance with item 29 of the Third Schedule of the Rules of Executive Business.

Proposals regarding officers whose maximum pay in the pay scales exceeds Rs. 1,200 but is less than Rs. 2,250, shall be placed before the Cabinet after the recommendations of the Establishment Committee had been obtained and approved by the Departmental Minister.

(2) Proposals regarding transfer, posting and deputation of such officers whose maximum pay in the pay scale exceeds Rs. 840 but does not exceed Rs. 1,200 should be placed before the Minister-in-charge for orders after the recommendation of the Establishment Committee. Proposals regarding transfer, posting and deputation of such officer whose maximum pay in the pay scales exceeds Rs. 1,200 shall be placed before the Cabinet after obtaining the recommendation of the Establishment Committee and approval of the Minister-in-charge.

(3) Transfer/posting of such officers whose maximum pay in the pay scales does not exceed Rs. 840 and who do not come within the purview of the delegated powers of the Head of Office, shall be done by the Head of Department. Similarly the Head of Office shall exercise his delegated powers for transfer/posting of different categories of officers and staff. The Head of Department and the Head of Office shall obtain the recommendations of the Establishment Committee in such matters.

(C) *Formation of Establishment Committee.*—(1) An Establishment Committee should be formed for each Department with the approval of the Departmental Minister for recommending transfer/posting of such officers whose transfer and posting is made by Government. The Committee will consist of the following officers :—

(i) Commissioner and Secretary.
(ii) Seniormost Head of Department.
(iii) One Special Secretary/Additional Secretary.
(iv) Suitable seniormost officer of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe.

(If such a Scheduled Caste/Scheduled Tribe Officer is not available in the Department a suitable officer nominated by the Chief Minister through the Personnel and Administrative Reforms Department.)

The Minister-in-charge shall frame at the beginning guideline principles to be observed by the Establishment Committee. In the same manner guideline principles shall be framed for the Heads of Department with the approval of the Departmental Minister. After the Career Management Scheme has been prepared by the Department and approved by the Minister the guidelines should be modified to bring in line with the Career Management Scheme.

(2) An Establishment Committee should be constituted by the Department for transfer/ posting at the level of the Head of Department which shall consist of two senior officers subordinate to him and an officer of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe, in addition to the Head of Department.

(3) The department shall also constitute an Establishment Committee at the level of the Head of Office which will be presided over by the Head of Office and a mininum of 3 members and maximum of 5 including a Scheduled Caste/Scheduled Tribe member.

2. These orders will take effect from the date of issue.

ORDER— Ordered that this resolution be published at once in the Extraordinary issue of the *Bihar Gazette* and its copy be forwarded to all Departments of Government/all Heads of Departments/all Divisional Commissioners/all District Magistrates for information and necessary action.

By order of the Governor of Bihar,
P. P. NAYYAR.
Chief Secretary to Government.

------

[6]

पत्र संख्या-14/प2-1075/96 का०-11747

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी० के० हलधर, सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी / सभी उपायुक्त ।

पटना-15, दिनांक 31 अक्टूबर, 96

विषय :- स्थानान्तरित पदाधिकारियों को विरमित नहीं करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक 5728 दिनांक 21-05-90 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त पत्र के द्वारा दिये गये निदेश का पालन नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा कई मामलों में नहीं किया जा रहा है। कतिपय ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं कि कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग के द्वारा बि० प्र० सं० के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन किया जाता है तो नियंत्री पदाधिकारियों के द्वारा स्थानान्तरित/पदस्थापित पदाधिकारियों को विरमित नहीं किया जाता है या उनका प्रभार प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है, फलस्वरूप सरकार को तथा संबंधित पदाधिकारी को अतिशय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

2. ज्ञातव्य है कि बि० प्र० से० के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण / पदस्थापन सरकार द्वारा किया जाता है। स्थानान्तरित पदाधिकारियों को विरमित नहीं करना या प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन नियंत्री पदाधिकारियों के द्वारा स्वीकार नहीं करना स्पष्ट रूप से सरकारी आदेश की अवहेलना माना जायेगा।

3. अत: सभी नियंत्री पदाधिकारियों से अनुरोध है कि पदाधिकारियों का स्थानान्तरण / पदस्थापन संबंधी आदेश का अनुपालन 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित करें।

4. स्थानान्तररित / पदस्थापित पदाधिकारियों की सूची संलग्न है।

विश्वासभाजन,
ह०/- बी० के० हलधर
सरकार के सचिव

------

[7]

पत्र सं०-सं०सं०-(ख)-508 / 96-880

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री बी० के० हलधर
सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/प्रधान मुख्य वन संरक्षक पदाधिकारी, राँची।

पटना, दिनांक 19 सितम्बर, 96

विषय :- सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में सहायकों के संयुक्त संवर्ग के सदस्यों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के गठन के पश्चात् प्रशासन में दक्षता एवं चुस्ती लाने के लिए सरकार सदा प्रयत्नशील रही है। उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के उपरान्त संयुक्त संवर्ग के सदस्यों को दूसरे विभाग कार्यालय जहाँ पद उपलब्ध हों, में स्थानान्तरित/पदस्थापित

करने का निर्णय कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 11012 दिनांक 20-08-88 द्वारा लिया जा चुका है । तदनुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा संयुक्त संवर्ग के सदस्यों को प्रोन्नति के उपरान्त सामान्यत: उनके द्वारा कार्यरत विभाग / कार्यालय को छोड़ कर अन्य विभाग / कार्यालय में जहाँ पद रिक्त है, पदस्थापित किया जाना है । किन्तु इधर अक्सर ऐसे दृष्टांत आ रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि इन पदाधिकारियों द्वारा पदस्थापित विभाग में योगदान देने के बाद संबंधित विभाग द्वारा उनका योगदान स्वीकार करने और उन्हें अपने विभाग में पदस्थापित करने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है । इससे संबंधित पदाधिकारी पदस्थापित विभाग में योगदान देने के बाद भी अपने पूर्व के विभाग में बने रहते हैं और उनके विभाग द्वारा विरमित नहीं किया जाता है । इससे पदाधिकारियों को अनावश्यक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहना पड़ता है और प्रोन्नति के उपरान्त भी निम्नतर पद पर कार्य करना पड़ता है । साथ ही मनोनुकूल विभाग/कार्यालय में पदस्थापित कराने के लिए पदाधिकारियों को समय भी मिल जाता है । कतिपय ऐसे भी दृष्टांत हैं जब प्रोन्नत पदाधिकारी एक लम्बे समय तक अपने विभाग में निम्न पद पर बने रहते हैं और जब उनकी सेवा एक वर्ष या उससे कम रह जाती है विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष या माननीय विधायकों द्वारा उनके संबंध में उसी विभाग में पदस्थापित कर देने की अनुशंसा की जाती है । कुल मामलों में पदस्थापित पदाधिकारियों की सेवाएँ संबंधित विभाग द्वारा इस आधार पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को वापस कर दी जाती है कि उस विभाग में पद रिक्त उपलब्ध नहीं है । ऐसा विभागों / कार्यालयों से रिक्ति के संबंध में नियमित रूप से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण होता है । कभी-कभी पद उपलब्ध होने के बाद भी विभाग द्वारा पदाधिकारियों की सेवाएं उस विभाग में कार्यरत सहायक / पदाधिकारियों को प्रोन्नति के उपरांत उनके लिए पद उपलब्ध रखने के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को वापस लौटा दी जाती हैं । कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद पर निम्न वेतनमान के पदाधिकारियों को पदस्थापित कर कार्य लेने के कारण भी पदाधिकारियों की सेवाएँ वापस लौटायी जाती हैं । कुछ मामलों में सहायक अथवा संयुक्त संवर्ग के किसी पदाधिकारी की सेवाएं बिना कारण बताये और बिना पूर्व सूचना के अचानक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को वापस लौटा दी जाती है । इससे संबंधित पदाधिकारियों को कठिनाई होने के साथ कई प्रशासनिक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं ।

(2) उपर्युक्त वर्णित परिस्थिति में सभी पहलुओं पर विचार कर प्रशासन को दक्ष एवं चुस्त बनाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि संयुक्त संवर्ग के किसी सहायक या किसी पदाधिकारी की सेवाएं बिना पूर्व सूचना और बिना पर्याप्त कारण के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को वापस नहीं लौटायी जाए । साथ ही संयुक्त संवर्ग के सहायकों/पदाधिकारियों को यदि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा पदस्थापित/स्थानान्तरित किया जाय तो संबंधित पदाधिकारी को उस विभाग द्वारा अविलंब विरमित कर दिया जाए, जिस विभाग में वह कार्यरत है । ताकि स्थानान्तरित/पदस्थापित विभाग में वह योगदान कर सके । उन्हें विरमित करने के पश्चात इसकी सूचना कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भी दिया जाए । पदस्थापित विभाग में पदाधिकारी द्वारा योगदान करने के पश्चात संबंधित विभाग द्वारा उनका योगदान स्वीकार कर 15 दिनों के भीतर वे उन्हें पदस्थापित कर दें । यदि किसी विशेष परिस्थिति में पदस्थापित/स्थानान्तरित पदाधिकारियों के लिए पदस्थापित विभाग/कार्यालय में पद उपलब्ध न हो तो विभाग द्वारा 15 दिनों के भीतर पदाधिकारी की सेवा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को (स्वीकृत पदों की संख्या और उनके विरुद्ध कार्यरत पदाधिकारियों के नाम सहित पूर्ण सूचना के साथ) अवश्य वापस कर दी जाए । संयुक्त संवर्ग के किसी भी पद की रिक्ति की गलत सूचना कभी न दी जाए और किसी पद

पर कार्यकारी व्यवस्था के तहत निम्न वेतनमान के पदाधिकारियों को पदस्थापित नहीं किया जाए। कार्यकारी व्यवस्था के तहत पदस्थापन के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 2747 दिनांक 16-03-90 द्वारा पूर्व में समुचित निर्देश दिया जा चुका है। इसलिए अब कार्यकारी व्यवस्था के तहत पदस्थापन के मामले को सरकार गंभीरता से लेगी।

(3) यह भी निर्णय लिया गया है कि संयुक्त संवर्ग के स्वीकृत पद, उस पर कार्यरत सहायक/पदाधिकारियों एवं रिक्ति के संबंध में मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर माह का त्रैमासिक प्रतिवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को निश्चित रूप से भेजा जाए।

(4) अत: अनुरोध है कि कंडिका 2 एवं 3 में लिये गये निर्णयों के अनुरूप कार्रवाई करना कृपया सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही सितंबर माह को भेजा जाने वाला अद्यतन त्रैमासिक प्रतिवेदन 3 प्रतियों में (सक्षम पदाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ) अविलंब भेजने की कृपा करें।

(5) संयुक्त संवर्ग के सहायकों/पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई करने के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 323 दिनांक 04-04-96 द्वारा दिये गये निर्देशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाए'।

विश्वासभाजन,
ह०/- बी० के० हलधर
सचिव

------

[8]

पत्र संख्या-12/प०-1069/94 का०-8695

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष

पटना-15, दिनांक 12 सितम्बर, 1994

विषय :- **कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवायें विभिन्न विभागों/निगमों/पर्षदों/उपक्रमों के अधीन विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापन के लिये सौंपे जाने पर उन पदाधिकारियों का ससमय पदस्थापन करने के संबंध में।**

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक-4306, दिनांक 27-4-94 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त पत्र में यह निदेश दिया गया था कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवायें विभिन्न विभागों या उनके अन्तर्गत निगमों/पर्षदों/उपक्रमों के अधीन पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु सौंपे जाने पर संबंधित पदाधिकारियों के पदस्थापन संबंधी अधिसूचना सेवा उपलब्ध कराने के 15 दिनों के अन्दर निर्गत कर दी जाय।

(2) ऐसा पाया जा रहा है कि मुख्य सचिव के उपर्युक्त निदेश के बावजूद कई मामलों में लम्बे अर्से तक उनका पदस्थापन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किया गया। इस विषय की चर्चा दिनांक 17-8-94 को आयोजित विभागीय सचिवों की बैठक में भी की गयी थी तथा मुख्य सचिव द्वारा यह निदेश दिया गया था कि जिन विभागों में पदाधिकारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपलब्ध करायी जाती है उनमें पदाधिकारी के योगदान के पश्चात एक महीने तक अगर उनका पदस्थापन नहीं किया जाता है तो वैसे मामलों में पदाधिकारियों की सेवायें वापस ली जा सकती हैं। मुख्य सचिव के उपर्युक्त निदेश का उल्लेख मंत्रिमंडल सचिवालय के ज्ञापांक-4075, दिनांक 23.8.94 द्वारा प्रचारित उपर्युक्त बैठक की कार्यवाही की कंडिका-7 में भी किया गया था।

(3) अत: अनुरोध है कि मुख्य सचिव के परिपत्र संख्या-4306, दिनांक-27-04-94 में दिये गये निदेश के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवायें जब उपलब्ध करायी जायँ तो संबंधित पदाधिकारी के पदस्थापन हेतु अधिसूचना सेवा उपलब्ध कराने के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से निर्गत कर दी जाय। सेवा उपलब्ध कराये जाने के पश्चात पदाधिकारी के योगदान देने के एक महीने बाद तक यदि संबंधित पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं किया जाता है तो वैसे मामलों में पदाधिकारियों की सेवायें वापस ले ली जायगी।

(4) सेवा उपलब्ध कराये जाने के पश्चात संबंधित पदाधिकारी यदि यथासमय संबंधित विभाग या उनके अधीन निगम/पर्षद/उपक्रम में योगदान नहीं देते हैं तो उसकी सूचना तुरत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को दी जाय ताकि वैसे मामलों में संबंधित पदाधिकारी पर भी कारवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,
ह०/—एस० एन० विश्वास
आयुक्त एवं सचिव।

------

[9]

पत्र संख्या-12/छु-1154/92 का०-3244

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 31 मार्च, 1993

विषय :- बिहार प्रशासनिक सेवा के स्थानान्तरित पदाधिकारियों को विरमित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि प्राय: यह देखा जाता है कि बिहार प्रशासनिक के पदाधिकारी, यथा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं अन्य स्तरों के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप प्रभार मुक्त होने पर भी उन्हें जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा जिला मुख्यालय में रोक रखा जाता है और उन्हें अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित स्थानान्तरित पदाधिकारी को कार्यपालक दण्डाधिकारी

या अन्य किसी पद के विरुद्ध पदस्थापित करने हेतु अधिसूचित कर दिया जाय। ऐसे स्थानान्तरित पदाधिकारियों को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तत्काल कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में अथवा अन्य पदों पर यदि कुछ कारणों से अधिसूचित नहीं कर पाता है तो ऐसे स्थानान्तरित पदाधिकारियों को बिना वेतन के ही रहना पड़ता है एवं अनावश्यक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(2) सरकार ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि स्थानान्तरित पदाधिकारियों को प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी अपने स्तर से भविष्य में अपने जिले में सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी अन्य कार्य पर कदापि नहीं लगायें तथा उन्हें अपने स्तर से भी तत्परतापूर्वक पदस्थापन के नये स्थान पर योगदान करने हेतु तुरंत विरमित करा दें।

(3) अनुरोध है कि सरकार के उपर्युक्त आदेश का सख्ती से पालन किया जाय।

विश्वासभाजन,
ह०/– एस० एन० विश्वास
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक-12/छु-1154 / 92 का०-3244 पटना-15, दिनांक 31 मार्च, 1993

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/– एस० एन० विश्वास
आयुक्त एवं सचिव।

------

[10]

पत्र संख्या-286

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री अरुण पाठक, मुख्य सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी।

पटना, दिनांक-1-6-92

विषय :- जनता दरबार में शिकायत के आधार पर सरकारी सेवक के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि जनता दरबार में एक मध्य विद्यालय के सहायक शिक्षक के विरुद्ध प्राप्त आरोप के सम्बन्ध में जाँच कराकर गिरिडीह के उपायुक्त के द्वारा संबंधित शिक्षक का अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध संबंधित शिक्षक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या-1467/92 (आर) दायर किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षक के स्थानान्तरण आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि बिना कारण-पृच्छा प्राप्त किये दंडस्वरूप स्थानान्तरण करना न्याय के मूलभूत सिद्धान्त के विरुद्ध है।

याचिका संख्या-1467/92 (आर) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अनुरोध है कि किसी सरकारी कर्मचारी/पदाधिकारी के विरुद्ध जनता दरबार में शिकायत प्राप्त होने पर विहित

प्रक्रिया के अधीन उसकी जाँच करायी जाय तथा संबंधित सरकारी सेवक से कारण पृच्छा प्राप्त कर ही विभागीय प्रक्रियाओं एवं नियमों का पूर्णत: पालन करते हुए सक्षम पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर ही स्थानान्तरण का आदेश दिया जाय।

कृपया इसका दृढ़ता से पालन कराया जाय।

विश्वासभाजन,
ह०/- अरुण पाठक
मुख्य सचिव, बिहार।

------

[11]

अत्यावश्यक

पत्र सं०-9/प्र० 19-108/91 का०-440

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री ए० के० चौधरी, सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष।

पटना-15, दिनांक-17 जुलाई, 1991

विषय :- निजी सहायकों की अनुमान्यता तथा पदस्थापन में वरीयता के संबंध में।

महाशय,

इस विभाग के पत्र सं०-9/वि० 01-1062/88 का०-384 दिनांक 20-4-89 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि उपर्युक्त पत्र के द्वारा आपको निजी सहायकों की अनुमान्यता तथा आपके विभाग में सृजित पदों के संबंध में सूचना मांगी गई थी परन्तु किसी विभाग से कोई मंतव्य या सूचना प्राप्त नहीं हुई। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निजी सहायकों के संयुक्त संवर्ग के निजी सहायकों/वरीय निजी सहायकों/आप्त सचिवों एवं सचिवों का पदस्थापन सापेक्षता (वरीयता) के आधार पर करने का विषय विचाराधीन था। इस विषय पर गंभीरता से विचार करने के पश्चात सरकार ने निर्णय लिया है कि निजी-सहायक संवर्ग के कर्मचारियों/पदाधिकारियों को सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों के साथ यथासंभव सापेक्षता (वरीयता) के आधार पर निम्नलिखित मापदण्ड के अनुसार पदस्थापन किया जाय :-

क्रम सं०	मंत्री / पदाधिकारी	अनुमान्य पद
1.	मंत्री / राज्य मंत्री / उप मंत्री	सचिव / आप्त सचिव / वरीय निजी सहायक या निजी सहायक-2 पद
2.	मुख्य सचिव / विकास आयुक्त	(क) वरीय सचिव-1 पद (ख) आप्त सचिव या वरीय निजी सहायक-2 पद
3.	अपर मुख्य सचिव	(क) सचिव-1 पद (ख) आप्त सचिव या वरीय निजी सहायक -2 पद

4.	आयुक्त / सचिव	(क) सचिव-1 पद (ख) आप्त सचिव या वरीय निजी सहायक-2 पद (कुल 3 पद)
5.	विशेष सचिव / अपर सचिव	(क) आप्त सचिव-1 पद (ख) वरीय निजी सहायक या निजी सहायक-1 पद (कुल 2 पद)
6.	संयुक्त सचिव	वरीय निजी सहायक या निजी सहायक-1 पद
7.	उप सचिव / विभागाध्यक्ष / निदेशक	वरीय निजी सहायक या निजी सहायक-1 पद
8.	अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त सह- विशेष सचिव	(क) आप्त सचिव-1 पद (ख) वरीय निजी सहायक-1 पद (कुल 2 पद)
9.	मुख्य अभियंता	वरीय निजी सहायक-1 पद
10.	अवर सचिव / संयुक्त निदेशक	निजी सहायक-1 पद

उपरोक्त मापदंड के आधार पर पदस्थापन में सापेक्षता (वरीयता) का ध्यान रखा जायेगा परन्तु विशेष परिस्थिति में अथवा अनुपलब्धता के कारण मापदंड से हटकर किसी अन्य कोटि के कर्मचारियों का पदस्थापन किया जा सकता है।

2. इसके अतिरिक्त यदि किसी पद के लिये किसी विभाग द्वारा निजी-सहायक का पद सृजित है तो विभाग से सूचना एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति प्राप्त होने पर पदस्थापन पर विचार किया जायगा।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णीत माप-दंड के आलोक में आपके विभाग के पदाधिकारियों के लिये, निजी सहायक संवर्ग के कुल स्वीकृत पदों की सूची कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को अतिशीघ्र भेजी जाय।

कृपया इसे अपने विभाग के सभी अधिकारियों के बीच परिचारित करा दिया जाय।

विश्वासभाजन,
ह०/- अशोक कुमार चौधरी
सचिव।

------

[12]

पत्र संख्या-14/प2-2025/91 का०-8717

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री कमला प्रसाद, सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग के आयुक्त एवं सचिव।

पटना-15, दिनांक 4 जुलाई, 1991

विषय :- **कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवायें विभागों/निगमों/पर्षदों/उपक्रमों को विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापन के लिए सौंपने संबंधी।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि आवश्यकतानुसार विभिन्न विभागों को उनके नियंत्रणाधीन निगमों/पर्षदों/उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापन के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवायें कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार की दृष्टि में ऐसे दृष्टान्त आये हैं जब कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा ऐसे पदाधिकारियों की सेवायें उपलब्ध करा देने के बावजूद विभाग के स्तर पर पदस्थापन संबंधी अधिसूचना जारी करने में अप्रत्याशित विलम्ब किया जाता है। ऐसी स्थिति में जहां एक ओर उपलब्ध पदाधिकारियों का सरकारी सेवा में अवांछित अवधि तक सदुपयोग नहीं हो पाता वहीं दूसरी ओर संबंधित पदाधिकारियों को वेतनादि प्राप्त करने में असहनीय कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। कभी-कभी वे अत्यन्त ही दु:खद आर्थिक संकट में पड़ जाते हैं, जिसके लिए वे कतई दोषी नहीं होते।

2. यह तो बहुत ही स्पष्ट है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में एक उच्चस्तरीय स्थापना समिति द्वारा ऐसे पदाधिकारियों की संबंधित पदों के विरुद्ध पदस्थापन की पात्रता की जांच कर ली जाती है और माननीय मुख्य मंत्री के अनुमोदन के पश्चात पदाधिकारियों की सेवायें उपलब्ध कराई जाती है। फिर विभिन्न प्रशासी विभाग के स्तर पर संबंधित पदाधिकारियों की पात्रता के संबंध में किसी विचार की आवश्यकता नहीं रह जाती, बल्कि औपचारिक रूप से पदस्थापन की अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता होती है।

3. ऊपर अंकित तथ्यों पर पूर्णरूपेण विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जब किसी विभाग को बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी/पदाधिकारियों की सेवायें उपलब्ध कराई जाय तो इस संबंध में बिना समय गँवाये तत्काल पदस्थापन की अधिसूचना संबंधित विभाग जारी करें। यदि सेवायें उपलब्ध कराने के 15 दिनों के अन्दर संबंधित विभाग पदाधिकारी के पदस्थापन की अधिसूचना जारी करने में असमर्थ रहते हैं तो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपने लिये अंकित पद का प्रभार स्वत: ग्रहण कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को आदेश के अनुपालन की सूचना दे देंगे और अपना कार्यभार संभालेंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/– कमला प्रसाद

सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-14/प 2-2025/91का०-8717 पटना 15, दिनांक 4 जुलाई, 1991

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/– अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-14/प 2-2025/91का०-8717 पटना-15, दिनांक 4 जुलाई, 1991

प्रतिलिपि राज्य के सभी निगमों / पर्षदों एवं उपक्रमों के प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/– अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव।

------

[13]

पत्र संख्या-14/प1-1058/90 का०-15890

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री कमला प्रसाद, मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग /सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलायुक्त / सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 26 दिसम्बर, 1990 ।

विषय :- **सरकारी सेवकों को स्थानान्तरित करने के पश्चात् योगदान नहीं देकर बाह्य व्यक्ति से सिफारिश/ प्रभाव डालने के संबंध में ।**

महोदय,

आये दिन प्राय: यह देखा जाता है कि सरकारी सेवक स्थानान्तरित होने के पश्चात भी अपने द्वारा धारित पद का प्रभार नहीं सौंपते हैं एवं अपने स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में बाह्य व्यक्तियों द्वारा सिफारिश तथा प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं ।

2. इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या 3918 दिनांक 25-10-80 की कंडिका-9 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि "यदि कोई पदाधिकारी अपने स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में बाह्य व्यक्ति से सिफारिश कराते हैं या प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं तो उन्हें अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने का मौका देकर यह बात उनकी चरित्र पुस्ति में दर्ज कर दी जायगी ।"

3. उपर्युक्त अनुदेशों से कृपया अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाय और भविष्य में इसका दृढ़ता से अनुपालन किया जाय । भविष्य में यदि किसी भी पदाधिकारी का ऐसा मामला सरकार के समक्ष आए तो उक्त पदाधिकारी के विरुद्ध तदनुसार शीघ्रता से कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/- कमला प्रसाद
मुख्य सचिव, बिहार ।

------

[14]

पत्र संख्या-14/प 2-2012/90 का०-5728

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री ए० यू० शर्मा, सरकार के मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव / सरकार के सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी लोक उपक्रम ।

पटना-15, दिनांक 21 मई, 1990

विषय :- बि० प्र० से० के पदाधिकारियों के पदस्थापन के संबंध में ।

महोदय,

ऐसा प्राय: देखा जा रहा है कि बि० प्र० से० के पदाधिकारियों का पदस्थापन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जिस पद के विरुद्ध अधिसूचित किया जाता है उस पद पर उन्हें पदस्थापित नहीं कर अन्य पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

दूसरी ओर यह भी देखा जा रहा है कि किसी भी पदाधिकारी की सेवायें कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श के बिना ही लौटायी जा रही है । साथ-ही-साथ उन्हें विरमित भी कर दिया जाता है । जिससे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए काफी समस्या हो जाती है । पदाधिकारी का पदस्थापन, स्थानान्तरण विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा एवं चरित्र पुस्ति देखते हुए सरकार के सभी अनुदेशों/नियमों का पालन करते हुए विभागीय सचिव/मुख्य सचिव/मुख्य मंत्री के आदेशोपरान्त ही उन्हें उक्त पद के लिए अधिसूचित किया जाता है । यदि संबंधित आदेश द्वारा उक्त पदाधिकारी का योगदान स्वीकृत नहीं किया जाता है या उन्हें अधिसूचना के विरुद्ध अन्य पद पर पदस्थापित किया जाता है तो उससे मुख्य मंत्री के आदेश की सरासर अवहेलना करना होगा जो अनुचित है ।

अत: अनुरोध है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किसी भी पदाधिकारी को जिस पद के लिए अधिसूचित किये जायें उसी पद पर उनका योगदान अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जाय । यदि उनके कार्य से नियंत्री पदाधिकारी संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनके सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को पूर्ण औचित्य के साथ आरोप प्रतिवेदित करें । कतई अपने स्तर से सेवा न लौटावें तथा उन्हें विरमित न करें । कहना नहीं होगा, ऐसा करने से स्थानान्तरित पदाधिकारी का मनोबल टूट जाता है तथा उन्हें वेतन इत्यादि का भुगतान समय पर नहीं हो पाता है साथ ही उन्हें आर्थिक कठिनाई भी होती है । पदाधिकारियों में अनिश्चितता की भावना आ जाती है । अतएव भविष्य में इसका पालन सही ढंग से किया जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/- ए० यू० शर्मा
सरकार के मुख्य सचिव ।

------

[15]

पत्र संख्या-14/प 2-2019/89 का०-6818

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री ए० यू० शर्मा, मुख्य सचिव बिहार ।

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी विभाग ।

पटना-15, दिनांक 25 मई, 1989

तिथि 4 ज्येष्ठ, 1911 (श०)

विषय :- **सरकार द्वारा गठित विभागीय स्थापना समिति द्वारा पदाधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन करते समय मौलिक बिन्दुओं पर विचार करने के संबंध में ।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि पदाधिकारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन करने के समय स्थापना समिति के समक्ष पदाधिकारी के संबंध में पूर्ण रूप से सूचना नहीं रहने के कारण उनके पदस्थापन पर विचार करने में काफी असुविधा होती है ।

अत: किसी पदाधिकारी के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के संबंध में प्रस्ताव जब स्थापना समिति के समक्ष रखा जाय तो निम्नांकित विवरणी आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाय :-

1. पदाधिकारी का नाम
2. जन्म तिथि/गृह जिला
3. नियुक्ति के वर्ष/कोटि क्रमांक
4. पूर्व पदस्थापनों की विवरणी पद तथा अवधि के साथ
5. वर्तमान पदस्थापन अवधि के साथ
6. अभ्युक्ति

अत: अनुरोध है कि इसका अनुपालन निश्चित रूप से किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/- ए० यू० शर्मा

मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञाप संख्या-14/प 2-2019/89 का०-6818 पटना-15, दिनांक 25 मई, 1989

प्रतिलिपि, श्री आर० यू० सिंह मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/- ए० यू० शर्मा

मुख्य सचिव बिहार ।

------

[16]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं **प्रशासनिक** सुधार विभाग

संकल्प

दिनांक 3, अप्रील 1989 ।

विषय :- राजपत्रित पदाधिकारियों का स्थानान्तरण होने के उपरान्त उन्हें विरमित करने से संबंधित ।

स्थानान्तरित होने के पश्चात भी राजपत्रित पदाधिकारियों द्वारा अपने पद का प्रभार सौंप/त्याग कर नये पद का प्रभार ग्रहण नहीं करने के कई दृष्यान्त सरकार के सामने आये हैं। कई बार स्थानान्तरित राजपत्रित पदाधिकारी अपने अभ्यावेदन पर अनुकूल आदेश होने की प्रत्याशा में अपने पद का प्रभार अपने प्रतिस्थानी को नहीं सौंपते हैं। इसके चलते न केवल कई महत्वपूर्ण पद एक लम्बे अरसे तक रिक्त रह जाते हैं, बल्कि इन पदाधिकारियों की ऐसी अनुशासनहीनता के चलते प्रशासन की चुस्ती पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2. उपर्युक्त परिस्थिति में पूर्व में निर्गत एतद संबंधित सभी अनुदेशों को यथा अवक्रमित करते हुए निम्नांकित अनुदेश निर्गत किये जाते हैं :–

(क) किसी राजपत्रित पदाधिकारी का स्थानान्तरण होने के पश्चात उक्त आदेश की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर वे अपने द्वारा धारित पद का प्रभार त्याग कर नये पद का प्रभार ग्रहण कर उसकी सूचना सरकार के संबंधित विभाग को देंगे अन्यथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही, जिसमें निलम्बन भी शामिल है, की जायगी।

(ख) संबंधित पदाधिकारी यदि अपने द्वारा धारित पद का प्रभार कंडिका (क) में दी गई निर्धारित अवधि के अन्दर त्याग नहीं करते हैं तो उनके नियंत्रण पदाधिकारी कार्यालय आदेश/अधिसूचना निर्गत कर ऐसे संबंधित राजपत्रित पदाधिकारी को तात्कालिक प्रभाव से विरमित करेंगे और इस प्रकार का कार्यालय आदेश/अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से संबंधित पदाधिकारी स्वत: विरमित समझे जायेंगे ।

(ग) नियंत्रण पदाधिकारी के अलावे, ऊपर कंडिका (ख) में उल्लिखित कार्रवाई के अतिरिक्त एतद संबंधित आदेश/अधिसूचना प्रशासी विभाग/पैतृक विभाग द्वारा भी निर्गत की जा सकती है।

(घ) यदि संबंधित राजपत्रित पदाधिकारी स्वयं ही अपना नियंत्रण पदाधिकारी हों तो उस परिस्थिति में ऊपर कंडिका (ख) में उल्लिखित कार्यालय आदेश/अधिसूचना संबंधित प्रशासी विभाग/पैतृक विभाग द्वारा निर्गत की जायगी।

(ङ) नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा स्थानान्तरित पदाधिकारी को स्थानान्तरण आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर यदि विरमित नहीं किया जाता है तो प्रशासी/पैतृक विभाग नियंत्रण पदाधिकारी के विरुद्ध भी अनुशासनिक / विभागीय कार्रवाई कर सकेगा।

(च) ऊपर उल्लिखित कार्यालय आदेश/अधिसूचना की एक प्रति महालेखाकार, बिहार तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को दी जाय। कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी ऐसे कार्यालय आदेश/अधिसूचना प्राप्त होने के सात दिनों के अन्दर संबंधित राजपत्रित पदाधिकारी का अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र (एल०पी०सी०) निर्गत कर देंगे ताकि कोषागार/उप कोषागार से कोई भुगतान उक्त पदाधिकारी नहीं प्राप्त कर सकें।

3. **यह व्यवस्था सरकार के सभी विभागों एवं सभी सेवाओं/संवर्गों के राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए लागू होगी ।**

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट में प्रकाशित जाय और उसकी मुद्रित पाँच सौ प्रतियाँ इस विभाग को प्रेषित की जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/– एम० एल० मजुमदार
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप सं०-1/पी1-79/88 का०-4521 पटना-15, दिनांक 3 अप्रील, 1989 ।

प्रतिलिपि, सभी विभागों के सचिव/सभी विभागाध्यक्षों/सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/सभी जिला पदाधिकारियों/सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों/सभी उप विकास आयुक्तों/राज्यपाल के सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और लोकायुक्त के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. उनसे अनुरोध है कि वे सरकार के उपरोक्त निर्णय से सभी संबंधित पदाधिकारियों को अवगत करा दें ।

ह०/– एम० एल० मजुमदार
सरकार के सचिव ।

------

[17]

पत्र संख्या-9/वि० 1064/80 का०-49

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एम० एल० मजुमदार, सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 18 जनवरी, 1989 ।

विषय :- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन निजी सहायकों का विभागवार विभागीय प्रधान के प्रशानिक नियंत्रण में पदस्थापन करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के परिपत्र सं०-1022 दिनांक 17 दिसम्बर, 1988 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे कहना है कि उक्त परिपत्र के माध्यम से निम्न सूचनाएँ मांगी गई थीं :–

(क) प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निजी सहायक सम्वर्ग के कर्मचारियों के बारे में अनुपस्थिति विवरणी वित्त विभाग के लेखा शाखा को भेज देना है ताकि निजी-सहायक सम्वर्ग के कर्मचारियों का वेतन-विपत्र समय पर तैयार किया जा सके । आशा की जाती है कि आपके विभाग से संबंधित अनुपस्थिति विवरणी अबतक वित्त विभाग को भेज दिये गए होंगे ।

(ख) उपर्युक्त परिपत्र के साथ एक प्रपत्र भी संलग्न किया गया था, जिसको भरकर कार्मिक विभाग को 31-12-1988 तक भेजना था। यह प्रपत्र अविलंब भेजना आवश्यक है। आपको स्मरण होगा कि निजी सहायक सम्वर्ग के कर्मचारियों से हाल में जो समझौता हुई है, उसमें एक मुद्दा यह भी है कि कुछ कार्यालय में कार्यरत आशु-टंककों को निजी सहायक सम्वर्ग में निर्धारित माप-दण्ड के अनुसार विलयन किया जाय। विलयन करने से पहले यह देख लेना आवश्यक है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में पदाधिकारियों की अनुमान्यतानुसार निजी सहायक सम्वर्ग के कितने पद अनुमान्य होते हैं। स्पष्टत: विभिन्न स्तर के मंत्री, पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के लिये जो अनुमान्य पद निजी सहायक सम्वर्ग के कर्मचारियों के पदस्थापन हेतु उपलब्ध होंगे, उतनी संख्या के अन्दर ही आशुटंककों के विलयन पर विचार किया जा सकता है। इस परिस्थिति में प्रासंगिक परिपत्र के साथ जो प्रपत्र संलग्न किया गया है, उसके अनुसार सूचनायें बहुत ही आवश्यक हैं, अन्यथा निजी सहायक सम्वर्ग के कर्मचारियों के साथ उपर्युक्त मुद्दे पर समझौता का कार्यान्वयन नहीं हो पायेगा। अत: अविलंब वांछित सूचना भेज दी जाय।

2. इस विभाग के परिपत्र संख्या-1022 दिनांक 17-12-1988 के बारे में निहित स्वार्थ के कुछ लोग यह गलतफहमी फैला रहे हैं कि निजी सहायक सम्वर्ग के कर्मचारियों का विकेन्द्रीकरण हो गया है तथा वे हमेशा के लिये प्रशासी विभाग में कार्यरत रहेंगे। यह धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि उपर्युक्त परिपत्र द्वारा निजी सहायक सम्वर्ग का न विकेन्द्रीकरण किया गया है और न ही संबंधित कर्मचारियों को हमेशा के लिये प्रशासी विभाग के अधीन कर दिया गया है। वास्तव में यह प्रक्रिया इसलिये अपनाई गई है, क्योंकि प्रत्येक पदाधिकारियों के बारे में निजी सहायक सम्वर्ग के कर्मचारी के पदस्थापन से संबंधित अलग-अलग आदेश निर्गत करने पर कार्मिक विभाग के संबंधित प्रशाखा का अनावश्यक कार्य-भार बढ़ जाता है। साथ-ही-साथ विभाग के सचिव/कार्यालय प्रधान को यह छूट रहनी चाहिये कि विभाग के पदाधिकारियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उस विभाग/कार्यालय में पदस्थापित निजी सहायक सम्वर्ग के कर्मचारियों की सेवा आवश्यकतानुसार प्राप्त हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी निजी सहायक सम्वर्ग के कर्मचारी को संबंधित विभाग में कार्य करने में कठिनाई हो रही है या विभाग उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है तो कार्मिक विभाग को सूचना प्राप्त होने पर संबंधित निजी सहायक सम्वर्ग के कर्मचारी का अन्यत्र पदस्थापन किया जायेगा।

3. निजी सहायक सम्वर्ग के कई कर्मचारियों ने यह सुझाव अनौपचारिक रूप से दिया है कि बेहतर यह होगा कि जिस विभाग/कार्यालय में निजी सहायक सम्वर्ग के कर्मचारी कार्यरत हैं उनका वेतन एवं यात्रा भत्ता संबंधित विभाग/कार्यालय से ही प्राप्त हो जाय। इससे उन्हें वित्त विभाग में आकर अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। कार्मिक विभाग के लिये तत्काल संबंधित प्रशासी विभागों/कार्यालयों से वेतन एवं यात्रा भत्ता के भुगतान का आदेश देना सम्भव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि निजी सहायक संघ के प्रतिनिधियों ने मंत्रिमंडलीय उप समिति के समक्ष यह पेशकश की कि निजी सहायक सम्वर्ग के कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान पूर्ववत वित्त विभाग द्वारा किया जाय। संघ की यह मांग मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा मान ली गई है और तदनुसार समझौता पर हस्ताक्षर

भी हुआ है। इस परिस्थिति में जबतक निजी सहायक सम्वर्ग के कर्मचारियों द्वारा कार्मिक विभाग के समक्ष यह आप्सन नहीं दिया जाता है कि उनके वेतन आदि का भुगतान वे जिस विभाग/कार्यालय में पदस्थापित हैं, के द्वारा किया जाय, तबतक इस पर कोई कार्रवाई सम्भव नहीं है।

4. ऊपर कंडिका-3 में वर्णित तथ्यों के आलोक में आपके विभाग/कार्यालय में पदस्थापित सभी निजी सहायक सम्वर्ग के कर्मचारियों को यह निदेश दिया जाय कि संलग्न प्रपत्र में 10 दिनों के अन्दर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को यह जानकारी दें कि वे अपने वेतन तथा यात्रा भत्ता का भुगतान कहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं। स्पष्टत: निजी सहायक सम्वर्ग के कर्मचारी जिस विभाग/कार्यालय में पदस्थापित हैं, वहाँ के स्थापना से वेतन तथा यात्रा भत्ता का भुगतान लेने में कोई परेशानी नहीं होगी और साथ-ही-साथ वे संबंधित विभाग/कार्यालय को अपना ही विभाग/कार्यालय समझेंगे जिससे उन्हें विभाग के अन्य कर्मचारियों से भी आवश्यक सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि निजी सहायक संवर्ग के कर्मचारी जिस किसी भी कार्यालय/विभाग में पदस्थापित हों, वहाँ से वेतन आदि का भुगतान होने पर भी, उनकी प्रोन्नति, सम्पुष्टि, दक्षतारोक पार करना, स्थानान्तरण आदि सभी कार्य कार्मिक विभाग द्वारा ही पूर्ववत किया जाता रहेगा। इस पत्र की एक प्रतिलिपि ऑप्सन देने हेतु निर्धारित प्रपत्र के साथ सभी निजी सहायक सम्वर्ग के कर्मचारियों को दी जा रही है।

5. अतएव आपसे अनुरोध है कि निजी सहायक सम्वर्ग के कर्मचारियों के बारे में अनुपस्थिति-विवरणी समय पर भेज दिया जाय। यह भी अनुरोध है कि कंडिका (ख) में उल्लिखित प्रपत्र में आवश्यक सूचनायें शीघ्र कार्मिक विभाग को भेज दी जाय ताकि निजी सहायक संघ के साथ हुए समझौता से संबंधित बिन्दु का कार्यान्वयन शीघ्र हो सके। साथ-ही-साथ संलग्न प्रपत्र में ऑप्सन देने के लिये अपने विभाग/कार्यालय में पदस्थापित निजी सहायक सम्वर्ग के कर्मचारियों को निदेश दिया जाय।

विश्वासभाजन,
ह०/- एम० एल० मजुमदार
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-9/वि० 1-1064/88 का०-49 पटना-15, दिनांक-18-1-89

प्रतिलिपि- सभी आप्त सचिव/वरीय निजी सहायक/निजी सहायकों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के अन्तर्गत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशाखा-9) के निबंधक को संलग्न प्रपत्र में कृपया इस आशय की अपनी सहमति (option) दें कि वे अपना वेतनादि का भुगतान पूर्व की भांति वित्त विभाग (लेखा शाखा) के माध्यम से चाहते हैं अथवा जिस विभाग में प्रतिनियुक्त हैं, उसी विभाग के माध्यम से।

2. इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

ह०/- एम० एल० मजुमदार
सरकार के सचिव।

प्रपत्र

सेवा में,

निबंधक, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रशाखा-9.

* मैं अपना वेतन, यात्रा भत्ता एवं अन्य भुगतान वर्तमान समय जिस विभाग/कार्यालय में पदस्थापित हूँ, वहाँ के स्थापना के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूँ।

* मैं अपना वेतन आदि का भुगतान पूर्ववत वित्त विभाग के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूँ।

हस्ताक्षर-

पदनाम-

तिथि-

विभाग/कार्यालय-

* किसी एक में आप्सन देना है और तदनुसार दूसरा आप्सन को काट दिया जाय।

------

[18]

पत्र संख्या-9/प्र०-19-107/78 का०-1022

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री एम० एल० मजुमदार, सचिव।

सेवा में,

सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष।

पटना-15, दिनांक 17 दिसम्बर, 1980।

विषय :- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन निजी सहायकों का विभागवार विभागीय प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण में पदस्थापन करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि चालू परिपाटी के अनुसार विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदाधिकारियों के साथ निजी सहायकों का पदस्थापन कार्मिक विभाग द्वारा किया जाता है। यह व्यवस्था पूर्ण रूप से कारगर नहीं होने के फलस्वरूप विभाग का अधिक समय अनावश्यक रूप से स्थानान्तरण/पदस्थापन में ही बीत जाता है। अत: सरकार ने यह निर्णय किया है कि निजी सहायकों को किसी पदाधिकारी के साथ प्रतिनियुक्ति कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा नहीं की जाय बल्कि उन्हें समेकित रूप से अब विभाग ही में प्रतिनियुक्त किया जाए और विभाग के सचिव/कार्यालय प्रधान उन निजी सहायकों को अपने विभागीय पदाधिकारियों के साथ अनुमान्यता के आधार पर प्रतिनियुक्त कर देंगे। अगर उक्त विभाग के कोई पदाधिकारी छुट्टी में रहेंगे अथवा उनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाएगा तो वैसी स्थिति में विभाग उन्हें अपने ही यहाँ किसी दूसरे पदाधिकारी के साथ आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्त कर उनसे काम लें। पदाधिकारी की अनुपस्थिति में अब कोई भी निजी सहायक पूर्व की भाँति कार्मिक विभाग के अवकाश रहित पूल में योगदान नहीं देंगे।

2. यह भी निर्णय लिया गया है कि निजी सहायकों के वेतन आदि का भुगतान पूर्ववत् जैसा कि निजी सहायकों की हड़ताल के फलस्वरूप समझौता में भी तय हुआ है, वित्त विभाग द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन संबंधित विभाग से ऐब्सेंटी स्टेटमेंट प्राप्त करने के बाद ही तदनुसार वित्त विभाग द्वारा मासिक वेतन विपत्र तैयार किया जाएगा। उनके द्वारा ऐब्सेंटी स्टेटमेंट अगले माह की 10 तारीख तक निश्चित रूप से वित्त विभाग (लेखा शाखा) को भेजा जाएगा। उदाहरणार्थ माह दिसम्बर, 1988 से संबंधित ऐब्सेंटी स्टेटमेंट जनवरी 89 की 10 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य भेज दिया जाएगा। इस ऐब्सेंटी स्टेटमेंट के आधार पर अगर कोई कटौती आदि आवश्यक होगा तो यह जनवरी 1989 के वेतन विपत्र से कर ली जाएगी। किसी भी स्थिति में ऐब्सेंटी स्टेटमेंट प्राप्त किए बिना वेतन विपत्र तैयार नहीं किया जाएगा।

3. संबंधित विभाग के स्थापना प्रभारी पदाधिकारी ही अपने विभाग में कार्यरत निजी सहायकों के संबंध में संबंधित पदाधिकारी रिपोर्ट वित्त विभाग को भेजेंगे। परन्तु जो भी निजी सहायक अवकाश रक्षित पूल में रहेंगे उस संबंध में कार्मिक विभाग के निजी सहायक स्थापना प्रभारी पदाधिकारी ऐब्सेंटी स्टेटमेंट वित्त विभाग को यथासमय भेजेंगे।

4. इस संदर्भ में विभाग में निजी सहायकों की आवश्यकता होगी इसके लिए इस आशय की सूचना अपेक्षित है कि विभाग में किस पदाधिकारी के साथ निजी सहायक के कितने पद अनुमान्य हैं तथा संबंधित पदाधिकारी के साथ कितने निजी सहायक वास्तव में कार्यरत हैं। वर्तमान में जो निजी सहायक जिस विभाग में प्रतिनियुक्त हैं वे उक्त विभाग में ही समेकित रूप से प्रतिनियुक्त समझे जायेंगे।

5. इस संदर्भ में एक प्रपत्र संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपेक्षित सूचना 31 दिसम्बर, 1988 तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेज दें।

विश्वासभाजन,
ह०/- एम० एल० मजुमदार
सचिव।

ज्ञापांक-1022 पटना-15, दिनांक-17-12-88

प्रतिलिपि– सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि वित्त विभाग लेखा शाखा को अपने स्तर से भी आदेश दें कि ऐब्सेंटी स्टेटमेंट प्राप्त किए बिना निजी सहायक संवर्ग के कर्मचारियों के वेतन विपत्र तैयार नहीं करें।

सचिव।

विहित प्रपत्र

विभाग/कार्यालय का नाम	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	अनुमान्य निजी सहायक (सृजित पद का उल्लेख)	वर्त्तमान पदाधिकारी (नाम सहित) के साथ प्रतिनियुक्त निजी सहायकों का पूरा नाम तथा पदनाम	अभ्युक्ति

------

[19]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या-3/एम 1-5038/80 का०-4651 पटना-15, दिनांक 25 अप्रील, 1984

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला दंडाधिकारी।

विषय :- चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर रोक।

महाशय,

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि कार्मिक विभाग के ज्ञापांक 481 दिनांक 11-1-77 द्वारा सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया था कि चूँकि चतुर्थवर्गीय कर्मचारी अल्प वेतन भोगी हैं फलत: इन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण करने से इन लोगों को काफी असुविधा होती है एवं नये स्थान पर इनके सामने आवास की भी कठिन समस्या आ जाती है, अत: इन लोगों को विशेष प्रशासनिक कारणों को छोड़कर (जैसे पद समाप्त होने पर, आदि) एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण नहीं किया जाय। यदि वे सचिवालय में कार्यरत हैं तो वे सचिवालय में ही काम करेंगे। यही स्थिति विभिन्न अनुमंडल तथा प्रखंड में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों पर भी लागू होगी। पर स्वास्थ्य अथवा मनोवांछित आधार पर स्थानान्तरण की कार्रवाई उनके आवेदन देने पर की जा सकेगी।

2. इधर विभिन्न सेवा संघों द्वारा समय-समय पर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि कतिपय विभागों/विभागाध्यक्षों/कार्यालयों द्वारा सरकार के उपर्युक्त निर्णय का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं किया जा रहा है।

3. अत: अनुरोध है कि सरकार के उपर्युक्त निर्णय का दृढ़तापूर्वक अनुपालन कृपया सुनिश्चित किया जाय।

ह०/- सरयू प्रसाद

सरकार के उप सचिव।